अपील संख्या– 84/2019

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6-1-26	**शंकरलाल बनाम नन्दराम** अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभय पक्षों को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश पारित होने के 20 वर्ष 4 माह पश्चात् अपील पेश की है। आवंटन शुदा कृषि भूमि के चिपते अपीलांट के वरवक्त आवंटन कोई भूमि नही थी। अपीलांट चिपते काश्तकार नही थे। अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पडपौत्र है तथा उसी परिवार का सदस्य है। अपीलांट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही होने का कथन मानने योग्य नही है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपने मियाद प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य अंकित नही किया है जिसमें अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी कब, कहा प्राप्त हुइ। अपीलांट द्वारा अपील मीमो में और ना ही अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नही ली गई है जो कि कानूनन अनिवार्य प्रावधान है। अतः अपीलांट की अपील स्पष्टतः मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1993 पेज 232, आरआरडी 1977 पेज 254, आरआरडी 1989 पेज 88, आरआरडी 1982 पेज 230, आरआरडी 1984 पेज 261, आरआरडी 1991 पेज 164 आरआरडी 1998 पेज 349, आरआरटी 2002(1) पेज 33, आरआरटी 2007(2) पेज 788, आरआरटी 2008(2) पेज 1409 प्रस्तुत किये। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने अपनी बहस में कथन करते हुए कहा कि रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी का कथन है कि अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया इस संबंध में अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि खरीद सुदा भूमि है। इसलिए धारा 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। अपीलांट ने मियाद पर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबुत का कोई अवसर नही दिया गया। विवादित भूमि उपनिवेशन विभाग से राजस्व विभाग में हस्तान्तरित होने की कार्यवाही होने पर तमाम कार्य बंद किये जाने से अपीलांट दिनांक 15–02–2019 को अपनी आवंटन पत्रावली पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी लेने उपनिवेशन विभाग, बीकानेर गया तो उपरोक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन होने की जानकारी हुई तब अपीलांट द्वारा दिनांक 18–02–2019 को नकल प्राप्त कर उक्त अपील पेश की है। अपीलांट द्वारा जानबुझकर देरी कारित नही की है। अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। अभिभाषक अपीलांट ने आरआरडी 2008 पेज 804 प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त अगर पर्याप्त कारण दर्शित हो तो मियाद की अवधि कंडोन की जा सकती है। उक्त आदेश में न्यायालय द्वारा 32 वर्ष की मियाद को कंडोन किया गया है। अतः अपीलांट को मियाद पर छुट प्रदान करते हुए अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994 पेज 356 प्रस्तुत किया।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा मुख्य रूप से निम्नाकिंत प्राथमिक आपत्तियॉ पेश की गई–

1– अपील मियाद बाहर है। अतः खारिज योग्य है।

2– अपीलांट को अपील पेश करने की लॉकस स्टेण्डाई नही होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर विनिश्चय किया जाना है न्यायालय द्वारा मियाद के सम्बन्ध में निम्नाकिंत बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है–

1– **क्या अपील अन्दर मियाद है अथवा नही?**

2– **क्या अपील पेश करने में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किये गये है अथवा नही?**

3– **क्या प्रकरण गुणावगुण पर इतना मजबूत है जिससे कि दीर्घकालीन विलम्ब पर गुणावगुण आधारित निर्णयन को वरियता दी जा सके?**

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–10–1998 को पारित किया गया जबकि हस्तगत अपील दिनांक 19–03–2019 को प्रस्तुत की गई है। हस्तगत अपील **लगभग 20 वर्ष** पश्चात् प्रस्तुत की गई। अतः स्पष्टत है कि अपील मियाद अवधि के पश्चात् पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब कंडोन करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। न्यायालय को यह विचारण करना है कि क्या विलम्ब की अवधि अत्यधिक है अथवा नही? क्या अपीलांट द्वारा विलम्ब हेतु दर्शित कारण 'पर्याप्त कारण' है जिससे की न्यायालय का यह समाधान हो कि विलम्ब हेतु उत्तरदायी परिस्थितियॉ ऐसी थी, जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो।

इस हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (1) Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence.

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियाद अधिनियम की धारा 5 के अनुसार–

"Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period, if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. "

उपर्युक्त प्रावधानो के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 3 मियाद अधिनियम के अनुसार न्यायालय मियाद से बाहर प्रस्तुत अपील को खारिज करेगा। वही धारा 5 यह प्रावधित किया गया है कि यदि अपील में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा यदि संतोषप्रद कारण बताया जाता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। संतोषप्रद कारण क्या है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1955 पेज संख्या 252 में यह अवधारित किया गया है कि–

"We have heard the learned counsel appearing for the parties and have gone through the recoed as well. It is ture that an appellate court is to exercise its own discretion while dealing with the question as to whether a " sifficient cause" for the delay under section 5 of the Indian Limitation Act exisits or not. But it is a general principle of law that discreationary power must be exercised on judicial principles and not" in any arbitrary vague or fanciful manner." The term " Sufficient cause" has not been defined anywhere in the Indian Limitation Acts, but it has been held that it must mean a cause which is beyond the control of the party invoking the aid of the section. Necessarily it follows that a case for delay which by due care and attention could have been avoided cannot constitute a sufficient cause."

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में यह कारण अभिलिखित किया है कि विवादित भूमि उपनिवेशन विभाग से राजस्व विभाग में हस्तान्तरित होने की कार्यवाही होने पर तमाम कार्य बंद किये जाने से अपीलांट दिनांक 15–02–2019 को अपनी आवंटन पत्रावली पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी लेने उपनिवेशन विभाग, बीकानेर गया तो उपरोक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन होने की जानकारी हुई तब अपीलांट द्वारा दिनांक 18–02–2019 को नकल प्राप्त कर उक्त अपील पेश की है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत यह है कि अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई पर्याप्त कारण दर्शित नही किया है। अपीलांट द्वारा नकल प्राप्त करने के पश्चात भी 30 दिवस तक अपील पेश नही की गई।

अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 12–10–1998 की अपील लगभग 20 वर्ष पश्चात् पेश की गई है। विलम्ब की यह अवधि अत्यधिक है। विलम्ब के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नही किया गया है जिससे यह न्यायालय को यह समाधान हो कि यह विलम्ब के संबंध में पर्याप्त कारण है और विलम्ब की परिस्थितियॉ अपीलांट के नियंत्रण से बाहर थी।

प्रकरण गुणावगुण पर भी इतना मजबूत नही है कि विलम्ब की इस दीर्घकालीन अवधि को न्यायहित में क्षमा किया जा सके। क्योकि वरवक्त आवंटन अपीलांट प्रश्नगत भूमि का चिपता काश्तकार नही था। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि बाद में क्रय की गई। मियाद अधिनियम के प्रावधान औपचारिकता मात्र नही है। विलम्ब हेतु प्रत्येक दिन का कारण दर्शित करना जरूरी है। 20 वर्ष विलम्ब की अवधि एक दीर्घ अवधि है। परिसीमा अधिनियम के सिद्धान्त उदार तरीके से काम में लिये जाने चाहिए परन्तु इसका अर्थ यह नही होता है कि कोई पक्षकार अपने अधिकारो के प्रति जागरूक नही रहे। न्यायिक दृष्टांत सुमेरसिंह बनाम मेसर्स पुष्पा मोटर्स व अन्य आरएलडी 2000 (2) पेज 258 यहॉ पूर्णतया चस्पा होते है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विलम्ब की अत्यधिक अवधि (20 वर्ष) एवं इस दीर्घ अवधि के विलम्ब के संबंध में पर्याप्त/संतोषप्रद कारण न होने से इसे अन्दर मियाद शुमार नही किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु. 2008 (2) आर.जे. पेज संख्या 949 के आलोक में जहॉ अपील मियाद बाहर हो वहॉ गुणावगुण पर विचार नही किया जा सकता है।

जहॉ तक लॉकस स्टेण्डाई का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्टतः प्रकट होता है कि वरवक्त आवंटन अपीलांट प्रश्नगत भूमि का चिपता काश्तकार नही था। आवंटन के वक्त मूलाराम पुत्र मघाराम प्रश्नगत आवंटित भूमि का चिपता काश्तकार था। अपीलांट द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट द्वारा मूलाराम से प्रश्नगत भूमि आवंटन से पूर्व खरीदी गई हो। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से वर्ष 2017 में राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। इस सूरत में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की अधिकारिता हासिल नही होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने तथा अपीलांट को अपील की पेश करने की अधिकारिता नही होने पर प्राथमिक आपत्तियॉ स्वीकार कर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर